पत्रांक– बी0 / संघ 01–1001 / 2006...483...

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव / सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिलाधिकारी

पटना–15, दिनांक 17 मई, 2006

विषयः– संघ / महासंघ के कार्यकारिणी के पदधारकों / पदाधिकारियों का उनके कार्यावधि में स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 838 दिनांक 08.10.2005 के क्रम में सूचित करना है कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ / महासंघ की कार्यकारिणी के पदधारकों / पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

1. पूरे सेवाकाल में एकवार दो वर्षो के लिए स्थानान्तरण पर रोक का लाभ सिर्फ मान्यता प्राप्त संघ / महासंघों के पदधारकों को अनुमान्य होगा।
2. यह लाभ मान्यता प्राप्त संघ / महासंघ के राज्य इकाई, प्रमंडलीय इकाई एवं जिला इकाई तक ही अनुमान्य होगा।
3. राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संघ / महासंघ के अध्यक्ष एवं अन्य पाँच पदधारकों को स्थानान्तरण से रोक का लाभ अनुमान्य होगा। इन पाँच सदस्यों का नाम, सम्बन्धित मान्यता प्राप्त संघ / महासंघ के अध्यक्ष लिखित रूप से देंगे।
4. प्रमंडल स्तर पर मान्यता प्राप्त संघ / महासंघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष के अतिरिक्त तीन पदधारकों को यह लाभ देय होगा। इन तीन पदधारकों की सूची संघ / महासंघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रमंडलीय स्तर के पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
5. मान्यता प्राप्त संघ / महासंघ के जिला स्तरीय इकाई के अध्यक्ष एवं अन्य दो पदधारकों को यह लाभ अनुमान्य होगा। जिला इकाई के अध्यक्ष अन्य दो पदधारकों का नाम सम्बन्धित जिलापदाधिकारी / जिला स्तरीय पदाधिकारी को देंगे।

अनुशासनहीनता/कर्त्तव्यहीनता/सरकारी सेवक के लिए निर्धारित माप–दंड के प्रतिकूल अभियुक्ति वाले पदधारकों को यह लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

7. दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के दूसरे दिन से पदधारक उक्त लाभ से वंचित स्वतः हो जायेंगे। चाहे उक्त मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के नई कार्यकारणी का गठन हो अथवा नहीं हो।

8. जो अराजपत्रित कर्मचारी (पदधारक) इसका लाभ लेंगे, उनकी सेवापुस्ति में संबंधित पदाधिकारी इस आशय का प्रविष्टी कर देंगे ताकि दुबारा लाभ भूलवश या अन्य कारणों से न ले सकें।

9. कौन–कौन संघ मान्यता प्राप्त है, इस संबंध में लाभ देने वाले कार्यालय/विभाग संबंधित संघ/महासंघ से मान्यता के संदर्भ में सूचना (मान्यता का आधार) प्राप्त कर लेंगे तथा संतुष्ट हो लेंगे कि वास्तव में उन्हें मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं।

10. मान्यता प्राप्त संघों/महासंघों के कार्यकारिणी का चुनाव जल्द से जल्द नियमानुसार कराया जाए।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/पदाधिकारियों को देने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

(जी0 एस0 कंग)
मुख्य सचिव, बिहार